न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 11/2014 — तारीख रजू:– 04.02.2014

पीठासीन अधिकारी :– अनूपसिंह

R.A.S.

बृजमोहन पुत्र परताव जाति जाट निवासी ढिंढोरा तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ———————————————— वादी

बनाम

क्र.	नाम		पता
1.	रामरूप	पिसरान बृजलाल	जाति जाट निवासी ढिंढोरा
2.	रूपनसिंह		
3.	बलवीर		
4.	ओमप्रकाश उर्फ पिंकी	पिसरान वीरसिंह	तहसील हिण्डौन
5.	विनोद		
6.	पवन		
7.	लवकुश		
8.	मुस0 मुन्नी बेबा वीरसिंह		जिला करौली राजस्थान
9.	पूरन पुत्र बृजलाल		
10.	दुर्गासिंह	पिसरान चिरंजी	
11.	सरदार		
12.	नर्वदा बेबा चिरंजी		
13.	राजवीर	पिसरान सुगरसिंह	
14.	गुमानसिंह		
15.	पतना बेबा सुगरसिंह		

16\. हरदेई पुत्री सुगरसिंह पत्नि जगमोह जाति जाट निवासी कजानीपुर तहसील हिण्डौन

17\. पुष्पा पुत्री सुगरसिंह पत्नि सिया जाति जाति जाट निवासी कजानीपुर तहसील हिण्डौन

क्र.	नाम		पता
18.	रामसिंह पुत्र हरमुख		सभी जाति जाट निवासी ढिंढोरा
19.	लज्जादेवी पत्नि जगदीश		
20.	रामसहाय पुत्र निहाल		
21.	हरिराम पुत्र निहाल		
22.	रजनी पुत्री निहाल		तहसील हिण्डौन जिला करौली
23.	मानसिंह पुत्र जवाहर		
24.	गोपाल	पिसरान दरयाब	
25.	जगदीश		
26.	सुरेश		
27.	अंगूरी बेबा दरयाब		
28.	रमेश पुत्र द्रवसिंह		
29.	रामवीर पुत्र द्रवसिंह		
30.	धर्मवीर पुत्र द्रवसिंह		

Signature Not Verified

Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.10.08 10:39:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

31. शकुन्तला पुत्री द्रवसिंह पत्नि अतरसिंह जाति जाट निवासी कुंसाय तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर
32. ओमवती पुत्री द्रवसिंह पत्नि रामाधार जाति जाट निवासी खेडिया तहसील हिण्डौन जिला करौली
33. नारायण पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी ढिंढोरा तहसील हिण्डौन
34. मछला उर्फ गुड्डी पुत्री द्रवसिंह पत्नि रामनिवास जाति जाट निवासी खेडिया तहसील हिण्डौन
35. शाखा प्रबन्धक बी.ओ.बी. शाखा ढिंढोरा
36. स्टेट ऑफ राज0जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ———————————————— प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री रामभरोसी गोयल एडवोकेट वादी

निर्णय

दिनांक :– 7-9-2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी ने दावा बाबत् इस्तकरार हक, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर वाद पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि आराजीयात खसरा नम्बर 1613 रकबा 0.14 है0 वाके ग्राम ढिंढोरा तहसील हिण्डौन स्थित है।

वाद पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि साबिक खसरा नम्बर 1625 रकबा 5 बीघा बाके ग्राम ढिंढोरा तहसील हिण्डौन सेटिलमेन्ट से पूर्व वादी एवं उसके भाई भरोसी के कब्जा काश्त एवं खातेदारी की भूमि थी। वादी का भाई रामभरोसी लाऔलाद फौत हो जाने के बाद उक्त भूमि का कानूनी वादी ही एक मात्र खातेदार काश्तकार है तथा अपने नाम खातेदारी कराने का अधिकारी है।

वाद पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि वादी के कब्जा काश्त एवं खातेदारी के साबिक खसरा नम्बर 1625 रकबा 5 बिस्वा बाके ग्राम ढिंढोरा के बगल में ही प्रतिवादीगण का साबिक खसरा नम्बर 1624 रकबा 16 बिस्वा है।

वाद पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि सेटिलमेन्ट वालों ने प्रतिवादीगण के साबिक खसरा नम्बर 1624 रकबा 16 बिस्वा के ढिंढोरा के नवीन खसरा नम्बर 1614 रकबा 8 एयर [illegible] / 1043 रकबा 8 एयर के बनाये लेकिन बिना अधिकार [illegible] साबिक खसरा नम्बर 1625 एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.10.08 10:39:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण के साबिक खसरा नम्बर 1624 के बकाया रकबा का एक ही नवीन खसरा नम्बर 1613 रकबा 14 एयर बनाकर उसका परचा एक मात्र प्रतिवादीगण एवं उनके बुजुर्गान के नाम जारी कर दिया जबकि नवीन खसरा नम्बर 1613 रकबा 0.14 है0 में प्रतिवादीगण की केवल 4 एयर भूमि ही साबिक रकबा अनुसार रही है। इस प्रकार सेटिलमेन्ट वालों ने नवीन खसरा नम्बर 1613 रकबा 14 एयर वाके ग्राम ढिंढोरा के सम्पूर्ण रकबा का जो परचा प्रतिवादीगण के नाम जारी किया है तथा उसके आधार से जो आधार वर्ष एवं बाद की जमाबन्दी में उक्त गलत इन्द्राज के आधार से प्रतिवादीगण के नाम इन्द्राजात हुए है वह सब एव इनशियो नल एण्ड बोईड हैं तथा क़ाबिल कैन्सिल हैं तथा वादी इन्द्राज दुरूस्ती कराकर अपने नाम 7 एयर की खातेदारी कराने का अधिकारी है।

वाद पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि नवीन खसरा नम्बर 1613 रकबा 0.14 है0 वाके ग्राम ढिंढोरा साबिक खसरा नम्बर 1625व 1624 मिन के सेटिलमेन्ट बालों ने बिना अधिकार बनाये हैं जिसमें वादी के कब्जा काश्त एवं खातेदारी के साबिक खसरा नम्बर 1625 रकबा 5 बिस्वा शामिल है लेकिन सेटिलमेन्ट वालों ने वादी के नाम साबिक खातेदारी के उक्त खसरा नम्बर के रकबा का कोई परचा जारी नही किया इसलिए वादी नवीन खसरा नम्बर में से 7 एयर भूमि अपने नाम कानूनन कराने का अधिकारी है।

वाद पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि वादी साबिक खसरा नम्बर 1625 रकबा 5 बिस्वा भूमि पर मौके पर पूर्वानुसार काबिज काश्त है तथा साल दर साल काश्त करता चला आ रहा है कभी कोई विवाद प्रतिवादीगण ने पैदा नहीं किया इसलिए वादी को सेटिलमेन्ट की गलती की जानकारी नहीं हुई। अब दिनांक 07.05.2013 को जब पटवारी के पास जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस की नकल लेने गया तब पता चला कि साबिक खसरा नम्बर 1625 रकबा 5 बिस्वा के नवीन नम्बर की वादी के नाम खातेदारी नहीं है तब वादी ने मिलान क्षेत्रफल एवं ट्रेस नक्शा की नकल [illegible] को प्रतिवादीगण से खसरा नम्बर 1613 में से साबिक खातेदारी के [illegible] दी के नाम खातेदारी कराने का निवेदन वादी ने किया तो प्रतिवादीगण [illegible] इंकार हो गये तथा उक्त भूमि को शीघ्र लठैत व्यक्तियों को बेचने एवं वा[illegible] को बेदखल करने की एलानियाँ धमकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.10.08 10:39:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

दी है। अगर प्रतिवादीगण अपने इरादों में कामयाब हो गये तो हकूक वादी को अपूर्तनीय क्षति होगी इसलिए दावा हाजा करना लाजिम आया।

वाद पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि प्रतिवादी सं0 35 को यहॉ वादग्रस्त आराजी रहन होने के कारण प्रतिवादी बनाया गया है उनके इन्द्राजात बदस्तूर रहेंगे।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् इस्तकरार हक डिक्री किया जाकर वादी को आराजी नवीन खसरा नम्बर 1613 रकबा 14 एयर बाके ढिंढोरा में से 7 एयर का खातेदार काश्तकार किया जाकर वादी के नाम खसरा नम्बर 1613 के 7 एयर रकबा का बटे नम्बर डलवाया जाकर नक्शा ट्रेस में तरमीम किये जाने एवं वादी के नाम खातेदारी किये जाने की आज्ञा फरमाई जावे तथा सेटिलमेन्ट द्वारा नवीन खसरा नम्बर 1613 का ज़ो पर्चा प्रतिवादी एवं उनके बुजुर्गान के नाम से जारी किया तथा उसके आधार पर तैयार जमाबन्दी के इन्द्राजात को एवइनिशियो नल एण्ड बोईड घोषित किया जाकर केन्सिल किया जावे तथा मुताविक डिक्री राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती फरमाई जावे। तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे िकवह वादी के कब्जा काश्त में दखलंदाजी नहीं करें तथा आराजी खसरा नम्बर 1613 रकबा 14 एयर वाके ग्राम ढिंढोरा का किसी को रहन वय अथवा अन्य प्रकार से हस्तातंरण नहीं करें रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत रखें।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तामील प्रतिवादीगण की ओर से श्री शरदीलाल चौघरी एडवोकेट ने उपस्थित होकर बकालतनामा पेश किया तथा प्रतिवादीगण को 22 अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जबावदावा पेश नहीं करने पर दिनांक 07.03.2019 को जबावदावा बन्द करने के आदेश दिये गये।

वकील वादी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2037–40 प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी सं0 2067 से 70 प्रदर्श–2, नकल नक्शा ट्रेस साबिक नम्बरान प्रदर्श–3, नकल नक्शा ट्रेस [illegible] प्रदर्श–4,नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श – 5, नकल जमाबन्दी [illegible] प्रदर्श–6 पेश किये हैं तथा जुवानी सहादत में वादी बृजमोहन ने स्वय का शपथ पत्र,एवं स्वतंत्र गवाह शिवसिंह पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.10.08 10:39:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

जगन जाति जाट निवासी ढिंढोरा तहसील सूरौठ जिला करौली का शपथ पत्र पेश किये हैं।

वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने पैरवी करने से मना कर दिया। इसलिए वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है एवं वादी का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

वकील वादी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। नकल जमाबन्दी सं0 2037–40 प्रदर्श–1 के अनुसार विवादित आराजीयात साबिक खसरा नम्बर 801 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, 813 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, 850 रकबा 17 बिस्वा, 855 रकबा 17 बिस्वा, 928 रकबा 10 बिस्वा, 933 रकबा 7 बिस्वा, 940 रकबा 17 बिस्वा, 1243 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, 1625 रकबा 5 बिस्वा, 1706 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 1747 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 11 कुल रकबा 15 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम ढिंढोरा तहसील हिण्डौन की खातेदारी रामभरोसी बृजमोहन पि0 परताप जाति जाट सा0देह के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2037–40 के अनुसार विवादित आराजीयात साबिक खसरा नम्बर 646 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, 903 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 1062/1 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, 1619 रकबा 8 बिस्वा, 931 रकबा 14 बिस्वा, 1552 रकबा 5 बिस्वा, 1040 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 1603 रकबा 3 बिस्वा, 1675/1 रकबा 6 बिस्वा, 1675/2 रकबा 15 बिस्वा, 1675/3 रकबा 5 बिस्वा, 1675/4 रकबा 10 बिस्वा, 1679 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 1670/1 रकबा 17 बिस्वा, 1670/2 रकबा 9 बिस्वा, 1684 रकबा 16 बिस्वा, 1685 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 17 कुल रकबा 15 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम ढिंढोरा तहसील हिण्डौन की खातेदारी बृजलाल पुत्र उम्मेद कल्लन रायसिंह चिरंजी पि0 हरमुख जौहरी पुत्र रघुवर हि01/3 सुगरसिंह पुत्र पून्या द्रवसिंह बल्लभ श्यामा पि0 गैंदीलाल दरयाब पुत्र बिहारी हि01/3 दूलगंजी नवल रामस्वरूप पुत्र हरेत रामसहाय हरीराम पि0 निहाल मानसिंह पुत्र जवाहर हि01/3 जाति जाट सा0देह के नाम दर्ज रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.10.08 10:39:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श – 5 के अनुसार दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बरान के निम्नानुसार नवीन खसरा नम्बरान कायम किये गये हैं

साबिक खसरा नं0	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर में
1859 मिन 1660	– 1 बीघा 6 बिस्वा	1610	0.44
1627	5 बिस्वा	1611	0.09
1626	4 बिस्वा	1612	0.08
1625 मिन 1624 मिन	– –	1613	0.14
1624 मिन	16 बिस्वा	1614	0.08
1750 मिन	6 बीघा	1615	0.21
1628 1629	5 बिस्वा 7 बिस्वा	1611/4046	0.17
1624	16 बिस्वा	1568/4043	0.08

नकल जमाबन्दी सं0 2067 से 70 प्रदर्श–2 के अनुसार खसरा नम्बर 1588 रकबा 0.25 है0, 1592 रकबा 0.19 है0, 1604 रकबा 0.10 है0, 1605 रकबा 0.05 है0, 1613 रकबा 0.14 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.73 है0 वाके ग्राम ढिंढोरा तहसील हिण्डौन की खातेदारी वीरसिंह रामरूप पुत्रान वृजलाल हि01/24, रूपनसिंह बलवीरसिंह पि0 बृजलाल हि01/24, दुर्गासिंह सरदारसिंह पि0 चिरंजी नरवदा बेबा चिरंजी हि01/12 रामसिंह पि0 हरमुख हि0 1/12 पूरन पुत्र बृजलाल हि01/12, राजवीरसिंह गुमानसिंह पि0 सुगरसिंह पतना बेबा सुगरसिंह हि0 1/15, द्रवसिंह पुत्र गैंदीलाल हि01/27, हरदेई पुष्पा पुत्री सुगरसिंह हि0 2/45, लज्जादेवी पत्नि जगदीश प्रसाद हि0 2/27, दरयाब पुत्र बिहारी हि01/9, रामसहाय पुत्र निहाल हि02/27, हरिराम पुत्र निहाल हि0 1/12, मानसिंह पुत्र जवाहर हि0 [illegible] रजनी पुत्री निहाल हि01/108 जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज [illegible] है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 1783 नि0दि0 05.07.2010 विरासत से द्रवसिंह हि0 1/27

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.10.08 10:39:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

के बजाय रमेश चन्द रामवीर धर्मवीर पि0 द्रवसिंह शकुन्तला ओमवती मछला पुत्रियॉ द्रवसिंह सुफेदी बेबा द्रवसिंह जाति जाट हि0 1/27 स्वीकार हुआ तथा नोट नामान्तकरण सं0 1934 नि0दिं0 28.07.2011 बेचान से खसरा नम्बर 1588 रकबा 0.25 है0 में रामसिंह पुत्र हरमुख हि01/12 के बजाय लज्जादेवी पत्नि जगदीश हि01/12 जाति जाट सा0देह के नाम स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है।

तथा खाता खसरा नम्बर 762 रकबा 0.12 है0, 1503 रकबा 0.10 है0, 1504 रकबा 0.29 है0, 1556/4110 रकबा 0.05 है0, 1568/4043 रकबा 0.08 है0, 1614 रकबा 0.08 है0 1749 रकबा 0.01 है0, कुल किता 7 कुल रकबा 0.73 है0 वाके ग्राम ढिंढोरा तहसील हिण्डौन की खातेदारी वीरसिंह रामरूप पुत्रान वृजलाल हि01/24, रूपनसिंह बलवीरसिंह पि0 बृजलाल हि01/24, दुर्गासिंह सरदारसिंह पि0 चिरंजी नरवदा बेबा चिरंजी हि01/12 रामसिंह पि0 हरमुख हि0 1/12 पूरन पुत्र बृजलाल हि01/12, राजवीरसिंह गुमानसिंह पि0 सुगरसिंह पतना बेबा सुगरसिंह हि0 1/15, बल्लभ श्यामा पि0 गैंदीलाल हि02/27, द्रवसिंह पुत्र गैंदीलाल हि01/27, हरदेई पुष्पा पुत्री सुगरसिंह हि0 2/45, दरयाब पुत्र बिहारी हि01/9, रामसहाय पुत्र निहाल हि02/27, हरिराम पुत्र निहाल हि0 1/12, मानसिंह पुत्र जवाहर हि0 1/6, रजनी पुत्री निहाल हि01/108 जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 1783 नि0दिं0 05.07.2010 विरासत से द्रवसिंह हि0 1/27 के बजाय रमेश चन्द रामवीर धर्मवीर पि0 द्रवसिंह शकुन्तला ओमवती मछला पुत्रियॉ द्रवसिंह सुफेदी बेबा द्रवसिंह जाति जाट हि0 1/27 स्वीकार हुआ तथा नोट नामान्तकरण संख्या 1787 नि0दिं0 05.07.2010 बेचान से खसरा नम्बर 1504 रकबा 0.29 है0 में बल्लभ श्यामा पि0 देवीलाल हि0 2/27 के बजाय नारायणसिंह पुत्र हरिराम हि0 2/27 जाति जाट के नाम स्वीकार हुआ तथा नोट नामान्तकरण सं0 1934 नि0दिं0 28.07.2011 बेचान से खसरा नम्बर 762,1504,1614 कुल किता 3 कुल [illegible] है0 में रामसिंह पुत्र हरमुख हि01/12 के बजाय लज्जादेवी पत्नि जगदीश हि01/12 जाति जाट सा0देह के नाम स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.10.08 10:39:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

वादी के द्वारा पेश की गई नकल जमाबन्दी आधार वर्ष सम्वत् 2047 अपठनीय व अपूर्ण होने के कारण उस पर अमल नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि वादी विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 801 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, 813 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, 850 रकबा 17 बिस्वा, 855 रकबा 17 बिस्वा, 928 रकबा 10 बिस्वा, 933 रकबा 7 बिस्वा, 940 रकबा 17 बिस्वा, 1243 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, 1625 रकबा 5 बिस्वा, 1706 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 1747 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 11 कुल रकबा 15 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम ढिंढोरा तहसील हिण्डौन में हिस्सा 1/2 भाग का रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार था। जिसके दौराने सेटिलमेन्ट कौन–2 से नवीन खसरा नम्बर कायम किये गये हैं तथा साबिक रकबा के अनुसार वादी को हाल रकबा कितना दिया गया है। इस सम्बन्ध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया है। वादी के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजी सबूतों के आधार पर यह भी साबित नहीं होता है कि प्रतिवादीगण का साबिक रकबा 15 बीघा 13 बिस्वा का था। प्रतिवादीगण को दौराने सेटिलमेन्ट साबिक रकबा 15 बीघा 13 बिस्वा का हाल रकबा कितना दिया गया है। ऐसे हालात में वादी विवादित आराजी खसरा नम्बर 1613 रकबा 0.14 है0 में से रकबा 0.07 है0 की खातेदारी वादी अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी साबित नहीं होता है। ऐसे हालात में वादी का दावा बाबत् इस्तकरार हक, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् इस्तकरार हक, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा विवादित आराजी खसरा नम्बर 1613 रकबा 0.14 है0 वाके ग्राम ढिंढोरा हाल तहसील सूरौठ खारिज किया जाता हैं। उपरोक्तानुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ......7-9-2021...... को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.10.08 10:39:38 IST
Reason: SelfAttested

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner